

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Certified that the **SHRI PURNANAND PUBLIC SCHOOL** (name of the building or premises) at **KAILASH GATE MUNI KI RETI, T.G**(address) comprised of **3-BLOCK A/B/C** having **3 G.F** basement(s) and **1. F.F** (upper floors) owned/ occupied by **SHRI PURNANAND PUBLIC SCHOOL** (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **31.03.2023** (date of inspection) in the presence of **SANGEETA GOEL** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes **(X /XII)** with effect from **01.04.2023 TO 31.03.2026** For a period of **3 (Three)** year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. X
2. X
3. X
4. X

Issued on 27/02/2025 (date of issue) at N.N.R. (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with seal :

Name :

Designation :

Name & Address of Department /Office :
.....
.....

To

SHRI PURNANAND PUBLIC SCHOOL

(Name and address of the institution)



कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
दिनांक: अप्रैल ०६ | , 2023

पत्रांक: न-20/असुव्य (T-32)/2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
श्री पूर्णानन्द पब्लिक स्कूल
(SHRI POORNANAND PUBLIC SCHOOL)
कैलाशगोट, मुनि की रेती
जनपद-टिहरी गढ़वाल।

सन्दर्भ:- अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 74539865 दिनांक 28.03.2023 के सम्बन्ध में।

आपके स्कूल का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 31-03-2023 में आपके स्कूल में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्रनगर की निरीक्षण आख्या दिनांक 31-03-2023 के आधार पर आपके स्कूल हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 01-04-2023 से 31-03-2026 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

SHRI POORNANAND VIDYA NIKETAN SAMITI

President

(आर०-एस० संती) 23
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून/टिहरी गढ़वाल।